खातेदारी में से विलोपित किये जाने का प्रतीत होता है। हालांकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के हक बंट में पुश्तैनी मकान रखा गया है, जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत कमेड़िया द्वारा जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 08.05.1980 की प्रति जो पत्रावली में उपलब्ध से होती है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम उक्त खेतायों की खातेदारी में से विलोपित किया जा रहा है इसलिए मामला हकतर्क का पाया जाता है। अतः नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा करने के आदेश के साथ माफिक बंटवारा प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 1674 दिनांक 26.04.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी छोटूराम के हकबंट खातेदारी में मौजा–जानेवापूर्व तहसील–जायल के खसरा नं. 104/170 रकबा 4.0469 हैक्टैयर में से 1.2667 हैक्टैयर उतरी भाग तथा ग्राम जालनियासर तहसील जायल के खसरानं. 132/1 रकबा 5.0586 हैक्टेयर मेंसे 2.5293 हैक्टैयर दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्शा व पीडी प्रस्ताव के अनुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी जेठाराम के हकबंट खातेदारी में मौजा–जानेवा पूर्व तहसील–जायल के खसरा नं. 104/170 रकबा 4.0469 हैक्टैयर में से 2.7802 हैक्टैयर उतरीभाग तथा ग्राम जालनियासर तहसील जायल के खसरा नं. 132/1 रकबा 5.0586 हैक्टेयर मेंसे 2.2153 हैक्टैयर व 0.3140 हैक्टैयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शा व पीडी प्रस्ताव के अनुसार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक हिस्से के अन्तरण के लिए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर तहसीलदार जायल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पत्रांक : 1674 दिनांक 26.04.2021 निर्णय/आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29/06/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

29/06/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner